

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2012—पौष 27, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 293-19-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09 जनवरी 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११

क्रमांक ५ सन २०१२.

मध्यप्रदेश अधिनियम

[दिनांक १ जनवरी, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १७ जनवरी, २०१२ को प्रथम बार प्रकाशित की गईं ।]

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन २०१०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभिहित अधिकारी को या इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को, जिससे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे, प्रस्तुत किया जाएगा. ऐसे आवेदन को सत्यक स्वीकृति दी जाएगी. निश्चित की गई समय-सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी.”

धारा ६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में,—

“(एक) उपधारा (१) में, पर्युक्त में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित पर्युक्त अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“पर्युक्त यह और कि प्रथम अधीन अधिकारी स्वयंसेवा से, धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन को, जो कि रद्द कर दिया गया हो या निश्चित की गई समय-सीमा से परे लिखित हो, अभिलेख मंगा सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है समझे.”

(दो) उपधारा (३) में, पर्युक्त में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित पर्युक्त अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“पर्युक्त यह और कि द्वितीय अधीन प्राधिकारी स्वयंसेवा से, उपधारा (१) के अधीन फाइल की गई ऐसी अधील को, जो कि रद्द कर दी गई हो या प्रथम अधीन अधिकारी के समक्ष निश्चित की गई समय-सीमा से परे लिखित हो, अभिलेख मंगा सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह समुचित समझे.”

धीपल, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्र. 294-19-इककीस-अ (ग्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 5 सन 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2012.

THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI GUARANTEE (DWITIYA
SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 9th January, 2012; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th January, 2012.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. **Short title.**

2. In Section 5 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010. (No. 24 of 2010), (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:— **Amendment of Section 5.**

"(1) The application for obtaining the notified service shall be submitted to the designated officer or to his subordinate so authorized or to such other person as may be authorized by the State Government to receive the application. Such application shall be duly acknowledged. Stipulated time limit shall start from the date of submission of such application."

3. In Section 6 of the principal Act,— **Amendment of Section 6.**

(i) in sub-section (1), in the proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted namely:—

"Provided further that the first appeal officer may on his own motion call for the record of an application submitted under sub-section (1) of Section 5, which has been rejected or has been pending beyond stipulated time limit and pass such order as may be deemed appropriate.";

(ii) in sub-section (3), in the proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the second appellate authority may on his own motion call for the record of an appeal filed under sub-section (1), which has been rejected or has been pending beyond stipulated time limit before the first appeal officer and pass such order as may be deemed appropriate."